हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग
सचिवालय प्रशासन सेवायें–।

संख्याः कार्मिक (सचि0प्रशा0–।) ए (3)–1/85–। तारीख, शिमला–171002 26-8–2014

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के संलग्न उपावन्ध {अ} के अनुसार कार्मिक विभाग {सचिवालय प्रशासन} में फ्राश एवं चौकीदार एवं माली {वर्ग–IV अराजपत्रित} के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनातें है, अर्थातः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

{1} इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग {सचिवालय प्रशासन} फ्राश एवं चौकीदार एवं माली {वर्ग–IV अराजपत्रित} के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2014 है।

{2} ये नियम तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगे।

आदेश द्वारा

सचिव {सचिवालय प्रशासन}
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः कार्मिक {सचि0प्रशा0–।} ए {3}–1/85–। तारीख, शिमला–171002 26-8–2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
2. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु। उनसे अनुरोध है कि इन नियमों की प्रकाशन के बाद राजपत्र की दो प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करवाएं।
3. सहायक विधि परामर्शदाता एवं उप सचिव {विधि} हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला–2
4. वरिष्ट विधि अधिकारी {हिन्दी} विधि विभाग सचिवालय हिमाचल प्रदेश शिमला–2
5. 100 अतिरिक्त प्रतियां।

अतिरिक्त सचिव {सचि0प्रशा0}
हिमाचल प्रदेश

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्तर्गत सचिवालय प्रशासन विभाग में फ्राश एवं चौकीदार एवं माली वर्ग–IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमः–

1	पद का नामः		फ्राश एवं चौकीदार एवं माली
2	पदों की संख्याः		98 पद (अठानवे)
3	वर्गीकरणः		वर्ग–IV (अराजपत्रित)
4	वेतनमानः		(1) (क) नियमित पदधारियों के लिए पे–बैन्ड ₹ 4900–10680 ₹ 1300 ग्रेड पे (ख) ₹ 4900–10680 ₹ 1650/– ग्रेड पे (यह पे बैंड+ग्रेड पे दो साल की नियमित सेवा के बाद दिया जाएगा) (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँः स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 6200/– प्रतिमास। संविदात्मक रकम में ₹ 186/– की (पे– बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड–पे का तीन प्रतिशत) बृद्धि होगी
5	चयन पद अथवा अचयन पदः		अचयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयुः		18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नही होगी,:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नही होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे बब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार कि रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गये थे/ किए गए है और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/किये गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की

	जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है। (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।	
7	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिणिक और अन्य अर्हताएं:	(क) **अनिवार्य अर्हता:** किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड /संस्थान से मेट्रिक की परीक्षा पास हो या इससे समतुल्य हो। (ख) **वांछनीय अर्हता (ए)** हिमाचल प्रदेश की रुढियों, रितियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नही:	आयु : लागू नही। शैक्षित अर्हता : लागू नही।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	दो वर्ष, जिनका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा/सैकन्डमैंट आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होंगे।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा :	लागू नही।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना :	लागू नही।
13	भर्ती करनें में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति कि लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15—क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः— **इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाऐगीः—**	
	1) संकल्पनाः **(क)** इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सचिवालय में फ्राश एवं चौकीदार एवं माली को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्व विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उनकी संविदा की अवधि स्वीकृत/विस्तारित की जाएगी। **(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाऐं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में न आना :** सम्बद्व विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात रिक्त पदों के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। **(ग)** चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा। **(II) संविदात्मक उपलब्धियांः** संविदा के आधार पर नियुक्त फ्राश एवं चौकीदार एवं माली को ₹ 6200/— की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षो), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 186/— की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्वि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। **(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः**	

सम्बद्व विभाग का विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया:

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठयकम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात सम्बद्व विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:

जैसी सम्बद्व भर्ती प्राधिकारी अर्थात सम्बद्व विभाग के विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार:–

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते:

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 6200/– की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 186/–(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्वि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (डियुटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

	(ड़) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण का पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0,एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगें। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होगें।		
16	आरक्षणः	:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षाः	:	लागू नही।
18	शिथिल करने की शक्तिः	:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्ही उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

फ्राश एवं चौकीदार एवं माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/ पुत्री श्री.....निवासी..... ....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य, सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितिय पक्षकार'** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

'द्वितिय पक्षकार' ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने फ्राश एवं चौकीदार एवं माली के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1 यह कि **प्रथम पक्षकार** के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितिय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2 प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 6200/– प्रतिमास होगी।

3 **प्रथम पक्षकार** की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्व नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक नियुक्त (पद का नाम) कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6 संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8 संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध मे दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी पद पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित मास, वर्ष और तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2. .....

.....

.....

(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2. .....

.....

.....

(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel
Secretariat Administration Services-I

No.Per (SAS-I) A (3)-1/85-I Dated, Shimla-171002 26-8-2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Artic le 309 of the Constitution of India, the Government of Himachal Pradesh, is please to make the Recruitment & Promotion Rules for the Post of Frash cum Chowkidar cum Mali (Class-IV Non Gazetted) in the Department of Personnel (Secretariat Administratrion), Himachal Pradesh, As per Annexure-A attached to this notification namely:-

Short title and Commencement:

(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration) Frash cum Chowkidar cum Mali (Class-IV Non Gazetted) Recruitment & Promotion Rules-2014.

(2) These Rules shall come into force with immediate effect.

By Order

Secretary(SA) to the
Govt. of Himachal Pradesh

No.Per(SAS-I) A (3)-1/85-I, dated, Shimla-171004, the 26-8-2014

Copy to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt.of Himachal Pradesh.
2. Controller,Printing & Stationery, H.P Shimla-5, for publication in the H.P Rajpatra (Extra- Ordinary). Copy of the concerned Rajpatra may be sent to this department.
3. Law Department.
4. Asstt. Lefislative Draftsman (Hindi), Law Department, H.P Secretariat., Shimla-2.
5. 100 spare copies.

Additional Secy(SA) to the
Govt.of Himachal Pradesh.

Annexure-A

Recruitment and Promotion Rules for the post of Frash cum Chowkidar cum Mali Class-IV (Non Gazetted) in the Secretariat Administration Department under Government of Himachal Pradesh.

1.	Name of Post	: Frash cum Chowkidar cum Mali
2.	Number of Posts	: 98
3.	Classification	: Class-IV (Non-Gazetted) (Ministerial Services).
4.	Scale of Pay	: (I) (a) Pay structure for regular incumbents: ₹ 4900-10680 ₹ 1300 Grade Pay. (b) ₹ 4900+10680 ₹ 1650 Grade Pay(this PB+GP will be given after two years of regular service). (II) Contractual amount ₹ 6200/- P.M (4900+1300) This increase in the contractual amount would be 186/- (3% of the minimum of the pay band+GP).
5.	Whether "Selection" Post or "Non-Selection"Post	: Non Selection
6.	Age for Direct Recruitment	: Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such ad-hoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Recruiting Authority in case the candidate is otherwise well qualified.

7	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment		a) ESSENTIAL QUALIFICATION: Should have passed Matric Examination or its equivalent from recognized Board of School Education/Institution. b) DESIRABLE QUALIFICATION(S): Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees		Age : Not Applicable. Educational Qualification: Not Applicable.
9	Period of Probation, if any		Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods		100% By direct recruitment on a regular basis or by recruitment on Contract basis, as the case may be, failing which by transfer/secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Col.15-A & will be governed by service conditions as specified in the said column.
11	In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.		N.A
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		N.A
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment		As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment		A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of india.
15	Selection for appointment to		Selection for appointment to the post in the

	the post by direct recruitment		case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruiting authority, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the recruiting authority.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(1) CONCEPT:

(a) Under this policy the Frash cum Chowkidar cum Mali in Himachal Pradesh Secretariat will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSSB

The HOD of the concerned Department (Designation of the appointment authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading news papers and invite applications from candidate having the prescribed qualification and fulfilling the othen eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Reles.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS

The Peon appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 6200/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band+Grade pay). An amount of ₹ 186/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year (s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY

(IV) (SELECTION PROCESS)

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test of if considered necessary or expedient by a written test of practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e HOD of the concerned Department (Name of the recruiting authority).

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.

As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. HOD of the concerned Department (Name of the recruiting authority) from time to time.

	(VI) AGREEMENT After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules. (VII) TERMS AND CONDITIONS: (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 6200/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 186/- P.M (3% of minimum of the pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given. (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. (c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 week Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible the contract appointee. Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated, upto the Calendar year and will not be carried forwarded for the Next Calendar year. (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty. (e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds. (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner. (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale. (h) Provisions of service rules like FR,SR,Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.		
16	Reservation		The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/

			other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination		Not Applicable.
18	Power to Relax		Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of persons or post(s).

From of contract /agreement to be executed between the_____(name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through_____(Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this_____day of _____in the year_____Between_____Sh./Smt._____ S/o/D/o Shri_____R/o_____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Government of Himachal Pradesh through_____(Designation of the appointing Authority) Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a_____(Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the services of the SECOND PARTY as a_____(Name of the post) for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____It is specifically mentioned and agreed upon by both ipso-facto stand terminated on the last working day i.e on _____And information notice shall not be necessary.

   Provided that for-further extention /renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 6200/-per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terrminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual_____(Name of the post) will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. Howerver, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. HE/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave any other kind except above is admissible to the contractual_____(Name of the post).

   Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forwarded for the next Calendar Year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual _____(Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practioner. In case of women candidates Pregnancy beyond tewelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Name and Full Address)

1. _____

_____ (Signature of the FIRST PARTY)

_____

(Name and Full Address)

2. _____

_____ (Signature of the SECOND PARTY)

_____